न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 825 / 2026

08.07.2026

आवेदक **अभियुक्तगण सुमन देवी एवं अरविन्द कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **कासिम बाजार थाना काण्ड संख्या 172 / 2026** अन्तर्गत **धारा 115 (2), 126 (2), 351 (2), 352, 303 (2), 118 (1), 3 (5) बी0एन0एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आकाश कुमार पासवान एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक संख्या 01 सुमन देवी के विरूद्ध पूर्व से कासिम बाजार थाना कांड संख्या 133 / 24 धारा 341, 323, 379, 506 / 34 भा0द0वि के अंतर्गत दर्ज है, जिसमें जमानत पर मुक्त है, जो कि उपरोक्त सूचिका के पति के द्वारा ही किया गया है। उसके अलावा अन्य कोई केस नहीं है। आवेदक संख्या 02 के विरूद्ध पूर्व से कासिम बाजार थाना कांड संख्या 133 / 2024 धारा 341, 323, 379, 506 / 34 भा0द0वि कासिम बाजार अभियोजन वाद संख्या 40 / 26 धारा 37 बी0 उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है, जिसमें जमानत पर मुक्त है। उसके अलावा अन्य कोई केस दर्ज नहीं है। आवेदक संख्या 02 अरविन्द राउत को दिनांक 04.06.2026 को कासिम बाजार अभियोजन वाद संख्या 40 / 26 में गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 05.06.2026 को जेल भेजा गया। उसके पश्चात् भी अनुसंधानकर्ता द्वारा उपरोक्त वाद में आवेदक को रिमान्ड नहीं किया गया। सिर्फ झूठा आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन को मिलाकर उक्त वाद दर्ज किया गया है। परिवाद पत्र संख्या 481C/24 में आवेदक संख्या 01 गवाह है, जिसमें गवाही देने से उपरोक्त वाद कि सूचिना कना करती है। इसलिए झगड़ा झंझट करती है। आवेदकगण निर्दोष है, जिसे झूठा फंसाया गया है। तथा आवेदक संख्या 01 सुमन देवी द्वारा कासिम बाजार थाना, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर, श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाई नहीं की गयी, तथा आज तक केस दर्ज नहीं किया गया है। आवेदकगण मजदूरी का कार्य करता है तथा अत्यंत ही गरीब है। उपरोक्त वाद में धारा 303 (2), 118 (1) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। सूचिका उपरोक्त आवेदक संख्या 01 की बड़ी गोतनी एवं आवेदक संख्या 02 जेठ है, जिसका आपस में गोतियारी झगड़ा पूर्व से चला आ रहा है। आवेदकगण के किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है। आवेदकगण एवं सूचिका आपस में अपने सहोदर भाई एवं भाभी (गोतनी) है, जिसका आपस में खून का रिश्ता है। आवेदकगण को जमानत मिलने पर कभी भी फरार नहीं होगा तथा श्रीमान् के प्रत्येक आदेश का सदैव पालन करता रहेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाए।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –825/2

दिनांक 08.07.202

लगातार

08.07.2026

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अरविन्द राउत पर लोहे के रड़ से सूचिका के पति के सर पर मारने एवं चोट आने की बात कही गई है और अभियुक्तगण द्वारा धारदार चाकू से सूचिका तथा उनके पति पर हाथ चाकू से वार कर चोट कारित करने की बात कही गई है, जबकि कांड दैनिकी के पारा 17 में नाजुक अंग पर कोई जख्म नहीं पाया गया तथा हाथ पर छोटा सा ब्रूज पाया गया है और जख्म कड़े तथा भोथरे हथियार से जख्म कारित करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण पर धारा 109 बी0एन0एस0 का कोई आरोप नहीं बनता है और घटना दिनांक 03.06.2026 ढाई बजे दोपहर की है और प्राथमिकी दिनांक 05.06.2026 साढे दस बजे दर्ज की गई है। उक्त सभी तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय अभियुक्तगण को जमानत का लाभ देना उचित समझती है।

अतः आवेदक अभियुक्तगण को मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं सहित निम्न शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. **जमानतदार निकट संबंधी होंगे।**
2. **शपथपत्र दाखिल करेंगे, जिसमें धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो का पालन करेंगें तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे।**
3. **इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 08.07.2026